

एफ०एल०-2 (ओ) हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025) तक

1. फर्म/कंपनी का नाम.....
2. आवेदक का नाम.....
3. पिता/पति का नाम.....
4. आयु
5. जन्म तिथि: दिवस/माह/वर्ष..... / /
6. लिंग-पुरुष/महिला.....
7. फर्म/कंपनी/आवेदक का पैन नम्बर.....
8. आधार कार्ड नम्बर.....
9. आई०टी०आर० का विवरण.....
10. TIN/GST नम्बर
11. Email ID (ईमेल आईडी)
12. Mobile No. (मोबाइल नंबर)
13. आवेदक का स्थाई पता.....

आवेदक का
नवीनतम प्रमाणित
फोटोग्राफ

मकान नम्बर.....
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
थाना/पटवारी पट्टी.....
तहसील/उप तहसील.....
जिला.....उत्तराखण्ड।
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).....
मोबाइल नम्बर

14. एफ०एल०-2 (ओ) का विवरण

मकान नम्बर.....
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.....
थाना/पटवारी पट्टी.....
तहसील/उप तहसील.....
जिला.....उत्तराखण्ड।

दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर).....

मोबाईल नम्बर

चौहद्दी एवं जियो लोकेशन का विवरण.....

15. आवेदन का विवरण –

i.(दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) अनुज्ञापन शुल्क रूपये

(अंको में).....

(शब्दों में).....

ii.प्रतिभूति धनराशि रूपये

(अंको में).....

(शब्दों में).....

16. प्रोसेसिंग फीस के बैंक ड्राफ्ट का विवरण (उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के नाम के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किये जायेंगे। (दिनांक 21.02.2024 से पूर्व के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे):-

(1) प्रोसेसिंग फीस की धनराशि का विवरण:-

(अ) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक.....

(ब) बैंक का नाम.....

(स) बैंक ड्राफ्ट की राशि.....

(2) अन्य अनिवार्य अर्हताएँ संबंधित जानकारीयाँ :-

1. BWFL-2(S) व्यापार अनुभव का विवरण (संलग्न करें)

2. आपूर्तिक ईकाईयों द्वारा प्रदत्त अधिकृत पत्र का विवरण (संलग्न करें)

3. ईकाई का टर्न ओवर (संलग्न करें)

4. ईकाई द्वारा ईडीपी घोषित/आवेदन किए जाने की तिथि

5. अन्य ब्यौरा (संलग्न करें/उल्लेख करें)

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

आवेदक की घोषणा

मैं आवेदक पुत्र/पत्नी/पुत्री..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त करने व धरोहर धनराशि जब्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिन्न हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली-2024 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति